**भारत सरकार**

**श्रम और रोजगार मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या- 1181**

**सोमवार, 8 दिसंबर, 2025/17 अग्रहायण, 1947 (शक)**

**बेरोजगारी संबंधी आंकड़े**

**1181. श्री मलैयारासन डी.:**
**डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नवीनतम आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, देश में वर्तमान बेरोजगारी दर का विगत वर्षों की तुलना में क्षेत्र-वार और आयु-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान युवाओं के रोजगार के आंकड़ों सहित संगठित और असंगठित क्षेत्र में सृजित कुल नौकरियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) युवाओं, महिलाओं और ग्रामीण कामगारों में उच्च बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए सरकार द्वारा मनरेगा, पीएमकेवीवाई, डीडीयू-जीकेवाई और अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन सहित किए गए उपायों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने अपनी रोजगार सृजन योजनाओं की प्रभावशीलता का कोई मूल्यांकन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा प्रशिक्षित युवाओं को वास्तव में सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करने के लिए कौशल विकास, उद्योग सहयोग और नौकरी प्राप्ति हेतु सहायता में सुधार हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा देश में बेरोजगारी को उल्लेखनीय रूप से कम करने के लिए निर्धारित समय-सीमा और लक्ष्य का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**श्रम और रोजगार राज्य मंत्री**

**(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)**

(क) से (च): रोजगार और बेरोजगारी का डाटा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) द्वारा एकत्र किया जाता है जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित किया जा रहा है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, सामान्य स्थिति के आधार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) वर्ष 2017-18 में 6.0% से घटकर वर्ष 2023-24 में 3.2% हो गई है और 15-29 आयु वर्ग के युवाओं के लिए यह वर्ष 2017-18 में 17.8% से घटकर वर्ष 2023-24 में 10.2% हो गई है।

इसके अतिरिक्त, सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का रोजगार को दर्शाने वाला (औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार सहित) अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) वर्ष 2021-22 में 52.9%, वर्ष 2022-23 में 56.0% और वर्ष 2023-24 में 58.2% था। इसके अलावा, 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर रोजगार को दर्शाने वाला अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) वर्ष 2021-22 में 36.8%, वर्ष 2022-23 में 40.1% और वर्ष 2023-24 में 41.7% था।

पीएलएफएस रिपोर्टों में सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) (युवाओं, महिलाओं और ग्रामीण कामगारों में क्षेत्र और आयु-वार सहित) के बारे में जानकारी https://www.mospi.gov.in/publications-reports पर उपलब्ध है।

रोजगार सृजन के साथ-साथ रोजगार क्षमता में सुधार (महिलाओं, युवाओं और ग्रामीण कामगारों सहित) सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, सरकार विभिन्न रोजगार सृजन योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीन दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि), स्टैंड-अप इंडिया स्कीम, स्टार्ट अप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आदि शामिल हैं। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

सरकार कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के तहत, कौशल विकास केंद्रों/विद्यालयों /महाविद्यालयों/संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से पूरे देश में विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) आदि के तहत कौशल, पुन: कौशल और कौशल संवर्धन प्रशिक्षण का कार्यान्वयन भी कर रही है। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशल प्रदान करके भविष्य के लिए सक्षम बनाना है।

देश में पिछले पांच वर्षों के दौरान एमजीएनआरईजीए, पीएमकेवीवाई और डीडीयूजीकेवाई योजनाओं के लाभार्थियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध-I से III में दिया गया है।

सरकार, महिला कामगारों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से भी उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

उपरोक्त के अलावा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) ने अप्रैल 2025 में महिलाओं के लिए एआई करियर पहल भी शुरू की है, जहां दो वर्षों की अवधि में, लड़कियों के लिए प्रशिक्षण और सक्षम आर्थिक अवसर कार्यक्रम के फोकस होंगे।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मिशन शक्ति के अंतर्गत 'पालना' योजना कार्यान्वित कर रहा है, जिसके अंतर्गत डे-केयर की सुविधाएं और बच्चों की सुरक्षा मुख्य बिंदु हैं। "पालना" के अंतर्गत, मंत्रालय ने बच्चों की देखभाल की निशुल्क  सेवाओं का आंगनबाड़ी सह-शिशु गृह (एडब्ल्यूसीसी) के माध्यम से विस्तार किया है।

सरकार ने "नव्या" (युवा किशोरियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से आकांक्षाओं का पोषण) भी शुरू किया है, जिसका उद्देश्य 16 से 18 वर्ष की किशोरियों को मुख्य रूप से गैर-पारंपरिक और नए प्रकार की नौकरियों/जॉब रोल्स् में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है।

सरकार विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए, सभी क्षेत्रों में रोज़गार सृजन, रोज़गार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना नामक रोज़गार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को कार्यांवित कर रही है। 99,446 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य 2 वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगारों के सृजन को प्रोत्साहित करना है।

भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय, राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन नौकरी मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि सहित करियर से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है।

महिला कामगारों के लिए समान अवसर और अनुकूल कार्य वातावरण के लिए 21.11.2024 से लागू श्रम संहिताओं में कई सुरक्षात्मक प्रावधान शामिल किए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में 26 सप्ताह का सवैतनिक प्रसूति अवकाश, 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य शिशुगृह सुविधा आदि जैसे प्रावधान शामिल हैं।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता (ओएसएच), 2020 में प्रावधान हैं कि महिलाएं सभी प्रकार के कार्यों के लिए सभी प्रतिष्ठानों में नियोजित होने की हकदार होंगी और उन्हें सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद उनकी सहमति से नियोजित किया जा सकता है, जो सुरक्षा, छुट्टियों और काम के घंटों या नियोक्ता द्वारा पालन की जाने वाली किसी भी अन्य शर्तों से संबंधित ऐसी शर्तों के अधीन है जैसा कि उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

केंद्रीय बजट (2024-25) में, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उद्योग जगत के सहयोग से कामकाजी महिला हॉस्टलों और शिशुगृह की स्थापना की घोषणा की गई।

*****

**अनुबंध-I**

**लोक सभा के दिनांक 08.12.2025 के अतारांकित प्रश्न 1181 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।**

**पीएमकेवीवाई के अंतर्गत प्रारंभ से लेकर 31 अक्टूबर, 2025 तक प्रशिक्षित/उन्मुख उम्मीदवारों का राज्यवार विवरण:**

| **राज्य** | **प्रशिक्षित/उन्मुख** |
|---|---|
| अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 5,501 |
| आंध्र प्रदेश | 5,28,234 |
| अरुणाचल प्रदेश | 98,157 |
| असम | 8,39,672 |
| बिहार | 7,60,581 |
| चंडीगढ़ | 28,035 |
| छत्तीसगढ | 2,04,543 |
| दिल्ली | 5,27,664 |
| गोवा | 10,484 |
| गुजरात | 4,71,884 |
| हरियाणा | 7,63,070 |
| हिमाचल प्रदेश | 1,76,654 |
| जम्मू एवं कश्मीर | 4,29,954 |
| झारखंड | 3,14,146 |
| कर्नाटक | 6,05,744 |
| केरल | 2,74,836 |
| लद्दाख | 4,076 |
| लक्षद्वीप | 390 |
| मध्य प्रदेश | 12,15,857 |
| महाराष्ट्र | 13,32,397 |
| मणिपुर | 1,15,021 |
| मेघालय | 58,856 |
| मिजोरम | 44,147 |
| नागालैंड | 54,055 |
| ओडिशा | 6,02,374 |
| पुदुचेरी | 35,597 |
| पंजाब | 5,63,591 |
| राजस्थान | 14,08,412 |
| सिक्किम | 19,479 |
| तमिलनाडु | 8,89,722 |
| तेलंगाना | 4,64,811 |
| दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव | 11,842 |
| त्रिपुरा | 1,60,367 |
| उत्तर  प्रदेश | 25,09,373 |
| उत्तराखंड | 2,52,138 |
| पश्चिम बंगाल | 6,51,369 |
| **अखिल भारत** | **1,64,33,033** |

अनुबंध- II

**लोक सभा के दिनांक 08.12.2025 के अतारांकित प्रश्न 1181 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।**

**वित्तीय वर्ष 2020-21 से चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 तक महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत सृजित मानव दिवसों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण (दिनांक 24.11.2025 तक)**

(आंकड़े करोड़ में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 (24.11.2025 तक) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 25.86 | 24.15 | 23.95 | 25.55 | 24.23 | 15.83 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 1.28 | 1.59 | 1.51 | 1.60 | 2.04 | 0.99 |
| 3 | असम | 9.11 | 9.16 | 7.86 | 8.74 | 7.11 | 3.81 |
| 4 | बिहार | 22.61 | 18.03 | 23.64 | 22.05 | 25.02 | 16.27 |
| 5 | छत्तीसगढ | 18.41 | 16.92 | 13.25 | 12.77 | 13.24 | 5.67 |
| 6 | गोवा | 0.0110 | 0.0095 | 0.0094 | 0.0043 | 0.0076 | 0.0048 |
| 7 | गुजरात | 4.82 | 5.68 | 4.66 | 4.93 | 4.31 | 2.27 |
| 8 | हरियाणा | 1.80 | 1.46 | 0.96 | 1.23 | 1.18 | 0.61 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 3.36 | 3.71 | 3.08 | 3.44 | 3.95 | 1.50 |
| 10 | जम्मू और कश्मीर | 4.07 | 4.06 | 3.09 | 3.75 | 4.09 | 2.23 |
| 11 | झारखंड | 11.76 | 11.32 | 9.15 | 10.97 | 10.09 | 8.01 |
| 12 | कर्नाटक | 14.80 | 16.32 | 12.58 | 13.85 | 13.12 | 6.25 |
| 13 | केरल | 10.23 | 10.60 | 9.66 | 9.95 | 9.08 | 5.01 |
| 14 | लद्दाख | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.14 |
| 15 | मध्य प्रदेश | 34.18 | 29.99 | 22.59 | 19.96 | 18.97 | 13.84 |
| 16 | महाराष्ट्र | 6.79 | 8.25 | 7.88 | 11.60 | 16.22 | 9.86 |
| 17 | मणिपुर | 3.31 | 3.03 | 0.74 | 1.46 | 2.45 | 1.31 |
| 18 | मेघालय | 3.84 | 3.94 | 2.89 | 3.25 | 3.21 | 1.53 |
| 19 | मिजोरम | 1.99 | 2.01 | 2.02 | 2.04 | 1.98 | 1.23 |
| 20 | नागालैंड | 1.80 | 1.93 | 1.97 | 1.79 | 0.94 | 0.80 |
| 21 | ओडिशा | 20.81 | 19.78 | 18.51 | 18.28 | 11.93 | 7.94 |
| 22 | पंजाब | 3.77 | 3.31 | 3.21 | 3.51 | 3.14 | 1.87 |
| 23 | राजस्थान | 46.05 | 42.43 | 35.71 | 37.52 | 31.66 | 14.42 |
| 24 | सिक्किम | 0.37 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.21 |
| 25 | तमिलनाडु | 33.39 | 34.57 | 33.47 | 40.87 | 30.61 | 11.22 |
| 26 | तेलंगाना | 15.80 | 14.58 | 12.19 | 12.09 | 12.23 | 5.52 |
| 27 | त्रिपुरा | 4.37 | 4.26 | 3.35 | 3.70 | 3.53 | 1.95 |
| 28 | उत्तर प्रदेश | 39.30 | 32.55 | 31.12 | 34.52 | 33.65 | 17.09 |
| 29 | उत्तराखंड | 3.04 | 2.43 | 2.06 | 1.97 | 1.90 | 0.58 |
| 30 | पश्चिम बंगाल | 41.40 | 36.42 | 3.79 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | अंडमान और निकोबार | 0.0261 | 0.0114 | 0.0129 | 0.0124 | 0.0088 | 0.0027 |
| 32 | दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0041 | 0.0299 | 0.0099 |
| 33 | लक्षद्वीप | 0.0002 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | पुदुचेरी | 0.1057 | 0.0615 | 0.0830 | 0.2189 | 0.1078 | 0.1147 |
| | **योग** | **388.68** | **363.09** | **295.51** | **312.17** | **290.60** | **158.09** |

(एनआरईजीए सॉफ्ट के अनुसार) और एनआरईजीए वेबसाइट से भी

स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय

**अनुबंध- III**

**लोक सभा के दिनांक 08.12.2025 के अतारांकित प्रश्न 1181 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।**

डीडीयू-जीकेवाई के तहत पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अक्टूबर, 2025 तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार भौतिक उपलब्धि:

| क्र.सं. | राज्य | वि.व. 20-21 | | वि.व. 21-22 | | 2022-23 | | 2023-24 | | 2024-25 | | 2025-26 अक्टूबर 2025 तक 10.11.2025 तक (केबी) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्रशिक्षित | नियोजित | प्रशिक्षित | नियोजित | प्रशिक्षित | नियोजित | प्रशिक्षित | नियोजित | प्रशिक्षित | नियोजित | प्रशिक्षित | नियोजित |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 4156 | 2177 | 1606 | 2135 | 18616 | 17070 | 19829 | 18045 | 10328 | 9033 | 8913 | 203 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 28 | 33 | 233 | 71 | 608 | 295 | 678 | 315 | 684 | 265 | 20 | 109 |
| 3 | असम | 1966 | 3296 | 3553 | 916 | 12532 | 6817 | 10615 | 8571 | 5231 | 4127 | 1089 | 337 |
| 4 | बिहार | 2687 | 2745 | 7099 | 2491 | 11516 | 9005 | 6733 | 7226 | 1709 | 1885 | 96 | 199 |
| 5 | छत्तीसगढ | 1109 | 3683 | 6499 | 2883 | 9742 | 8484 | 3045 | 3958 | 1170 | 1759 | 582 | 267 |
| 6 | गुजरात | 240 | 875 | 830 | 599 | 2912 | 1450 | 3960 | 2729 | 3544 | 2584 | 1115 | 1111 |
| 7 | हरियाणा | 26 | 1213 | 1772 | 680 | 5554 | 2685 | 8478 | 4882 | 4492 | 3700 | 2719 | 1150 |
| 8 | हिमाचल प्रदेश | 0 | 117 | 334 | 10 | 3967 | 2175 | 4324 | 3187 | 3084 | 2273 | 2367 | 1395 |
| 9 | जम्मू और कश्मीर | 3454 | 1945 | 2300 | 1102 | 5459 | 2754 | 1177 | 1245 | 1767 | 636 | 1088 | 628 |
| 10 | झारखंड | 1050 | 1879 | 4035 | 1354 | 10228 | 7343 | 11340 | 8157 | 6607 | 4911 | 3014 | 1019 |
| 11 | कर्नाटक | 769 | 1649 | 1442 | 673 | 3757 | 2813 | 3795 | 2656 | 1797 | 1914 | 398 | 405 |
| 12 | केरल | 3053 | 2931 | 3219 | 1097 | 8623 | 5224 | 5212 | 4078 | 3052 | 2572 | 602 | 600 |
| 13 | मध्य प्रदेश | 903 | 969 | 6825 | 3977 | 15653 | 11287 | 12107 | 10538 | 5097 | 4756 | 2769 | 1425 |
| 14 | महाराष्ट्र | 874 | 3319 | 348 | 1612 | 7830 | 4020 | 6381 | 4614 | 7761 | 4347 | 2310 | 967 |
| 15 | मणिपुर | 338 | 387 | 811 | 139 | 1921 | 1266 | 782 | 854 | 263 | 356 | 1363 | 374 |
| 16 | मेघालय | 83 | 158 | 456 | 241 | 2165 | 1353 | 1630 | 1352 | 1642 | 761 | 582 | 453 |
| 17 | मिजोरम | 37 | 88 | 105 | 94 | 344 | 349 | 725 | 499 | 723 | 474 | 518 | 96 |
| 18 | नागालैंड | 221 | 278 | 1009 | 614 | 2371 | 1409 | 1714 | 1592 | 804 | 570 | 509 | 400 |
| 19 | ओडिशा | 7978 | 7729 | 10474 | 4828 | 16778 | 13248 | 3997 | 5330 | 947 | 1095 | 1365 | 459 |
| 20 | पंजाब | 2922 | 1931 | 6976 | 4188 | 8121 | 7020 | 11803 | 8805 | 1979 | 3560 | 4796 | 817 |
| 21 | राजस्थान | 981 | 1759 | 3096 | 3130 | 6092 | 6209 | 7233 | 4218 | 5376 | 4532 | 4977 | 1005 |
| 22 | सिक्किम | 0 | 43 | 90 | 0 | 859 | 384 | 1123 | 720 | 255 | 393 | 119 | 8 |
| 23 | तमिलनाडु | 213 | 1286 | 8228 | 2941 | 15225 | 10648 | 13411 | 10206 | 5274 | 4803 | 2613 | 753 |
| 24 | तेलंगाना | 2752 | 1436 | 3177 | 2494 | 7094 | 4564 | 92 | 230 | 2560 | 1271 | 2554 | 928 |
| 25 | त्रिपुरा | 21 | 609 | 1049 | 193 | 2244 | 1189 | 2126 | 1336 | 913 | 694 | 425 | 153 |
| 26 | उत्तर प्रदेश | 1540 | 4068 | 16898 | 3765 | 36567 | 21921 | 45215 | 33458 | 18080 | 16245 | 7408 | 2373 |
| 27 | उत्तराखंड | 367 | 416 | 3645 | 917 | 8248 | 4409 | 6026 | 5306 | 1894 | 2821 | 1907 | 566 |
| 28 | पश्चिम बंगाल | 521 | 2544 | 732 | 2424 | 9596 | 4774 | 4979 | 5979 | 3172 | 1969 | 880 | 1017 |
| 29 | पुदुचेरी | | | 165 | 44 | 844 | 343 | 956 | 919 | 436 | 444 | 305 | 104 |
| 30 | अं. एवं नि. द्वीप समूह | | | 0 | 0 | 133 | 38 | 547 | 225 | 242 | 196 | 95 | 94 |
| | योग | **38289** | **49563** | **97006** | **45612** | **235599** | **160546** | **200033** | **161230** | **100883** | **84946** | **57498** | **19415** |

स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय